कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर बिलासपुर संभाग क्रमांक–दो
विक्रय कर भवन, जिला न्यायालय के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

विज्ञापन

क्रमांक/उपा/वाक/स्था/2016/ 270 बिलासपुर, दिनांक 30.01.2016

निःशक्तजन (बैकलॉग) के रिक्त पद हेतु

आवेदन करने की अंतिम तिथि **15.02.2016 सायं 5.30 बजे तक**

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक/2092/1453/2015/वा.क.(सम.)/पॉच नया रायपुर, दिनांक 27.06.2015 तथा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक/वाकआ/एक/स्था./110/5039 रायपुर, दिनांक 20.07.2015 के संदर्भ में संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर बिलासपुर, संभाग–दो के अंतर्गत सहायक ग्रेड–तीन के निःशक्तजन (बैकलॉग) श्रेणी के रिक्त 1 पद के लिए आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. रिक्त पदो का वर्गवार विवरण निम्नानुसार हैंः–

क्र.	पदनाम	निःशक्तजन का प्रकार	वर्ग				
			अनारक्षित	अनु. जाति	अनु.ज. जा.	अन्य पि. वर्ग	योग
1	सहायक ग्रेड–तीन	LV(दृष्टि बाधित)	1	–	–	–	1
		योग :–	1	–	–	–	1

पदो की संख्या परिवर्तनीय हैं।

2. पदो का विवरण :–

(अ) सेवा श्रेणीः– सहायक ग्रेड–तीन

(ब) वेतन मानः– रूपये 5200–20200 (1900 ग्रेड–वेतन) इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशो के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते ।

(स) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताः–

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण ।

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।

2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।

3. कम्प्युटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए।

3. पात्रता की शर्तेः–

(अ) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं।

(ब) छत्तीसगढ़ के किसी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक हैं। (कार्यरत शासकीय सेवको को छूट रहेंगी)

(स) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक–एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 दिनांक 27.09.2014 के कंडिका 8 के अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/ पदो में आरक्षण के लिए पात्र होंगें जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे निर्धारित प्रारूप में (अंगोच्छेदन या अंगो की पूरी स्थायी अंगाघात और

अंधापन की दशा में प्रारूप–2 में बहू निःशक्तता में प्रारूप–3 में तथा अन्य को प्रारूप–4 में) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(द) आवेदन करते समय आवेदक के पास सभी वांछित अर्हता पूर्ण हो ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन के अंतिम तिथि को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र नही हैं वे कृपया आवेदन न करें।

5. आयु सीमा :– दिनांक 01.01.2016 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष हों। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अन्य छूट भी लागु रहेगा लेकिन छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 दिनांक 16.09.2008 के कंडिका –3(द) अनुसार सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए। आयु के समर्थन हेतु संबंधित प्रमाणपत्र/अंकसूची को सत्यापित कर छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य हैं।

6. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र :–

छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार के अधीन कार्यरत शासकीय/अर्धशासकीय आवेदक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में सीधे भेज सकते हैं परंतु इसके तुरंत पश्चात उन्हे अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन करने के अंतिम तिथि तक सीधे विभाग को भेजने के लिए निवेदन भी कर देना चाहिए, जिसकी प्रति आवेदक को नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित नियुक्ति के समय विभाग को प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात यदि विभाग को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नही कराया जाता है तो विभाग द्वारा यह मान लिया जायेगा की नियोजक को कोई आपत्ति नही हैं।

7. चयन प्रक्रिया:–

1. परीक्षा के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जायेगी।
सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु (*Key*) डिप्रेशन की गति के संबंध में कौशल परीक्षा हेतु रिक्त पदो के 5 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। जिसकी सूचना विभागीय वेबसाईट *http://comtax.cg.nic.in/* में दी जायेगी । मेरिट अनुसार उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की कौशल परीक्षा दिनांक 22.02.2016 को कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर बिलासपुर संभाग क्रमांक–दो विक्रय कर भवन जिला न्यायालय के पास बिलासपुर (छ.ग.) में लिया जायेगा।
2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि पहले होगी उन्हे प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर बिलासपुर संभाग क्रमांक–दो को होगा।
4. चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रो की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित उम्मीद्वार को पुलिस वेरिफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जायेगा।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में निःशक्तजन का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. चयनित उम्मीद्वार का चारित्रिक सत्यापन उनकी नियुक्ति के तुरंत पश्चात पुलिस से कराया जायेगा और पुलिस से अयोग्य प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
8. चयनित उम्मीद्वार की पदस्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं भी की जा सकती हैं।
9. चयनित उम्मीद्वारो की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।
10. आवेदन उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में वांछित प्रमाण पत्रो एवं अंकसूचियो की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के साथ संलग्न कर आवेदन पत्र दिनांक **15.02.2016** तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर बिलासपुर संभाग क्रमांक–दो में कार्यालयीन समय **5.30** बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए।

8. अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी:–

प्रत्येक आवेदक को चाहिए की वें विज्ञापन में दिए गये निर्देशो तथा आवेदन पत्र में दिए सभी खानो को भलीं प्रकार देख कर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होंगी तथा त्रुटि या

अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

9. सामान्य प्रशासन के परिपत्र क्रमांक एफ 13–15/2012/आ.प्र./1/3 दिनांक 18.07.2012 के निर्देशानुसार की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष याचिका क्रमांक 591/2012, 592/2012,593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्ययीन रहेंगी एवं विज्ञापित किये गये रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता हैं।

10. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रृटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जायेंगे एवं इस संबंध में कोई पत्राचार नही किया जायेगा।

टीपः– विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि सुधारी जा सकती हैं। सूचना विधिवत पत्रो में प्रकाशित होगी।

संभागीय उपायुक्त,
वाणिज्यिक कर बिलासपुर
संभाग क्रमांक–दो

आवेदन पत्र का प्रारूप

वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत तृतीय श्रेणी के रिक्त बैकलॉग पद पर निःशक्तजनो की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

स्वयं का अभिप्रमाणित किया हुआ पासपोट साइज फोटो

प्रति,

संभागीय उपायुक्त,
वाणिज्यिक कर बिलासपुर,
संभाग क्रमांक–दो.

1. पद का नाम ....
2. आवेदक का पुरा नाम(हिन्दी में) ....
   (अंग्रेजी में) ....
3. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) ....
   (अंग्रेजी में) ....
4. जन्म तिथि ....
5. आयु दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में ....वर्ष.............माह................दिन........
6. जाति/वर्ग ( ) (निशान लगायें) | अ.जा. अ.ज.जा. अ.पि.व. अना. |
7. पत्र व्यवहार का पताः– ....
   ....
   ....
8. दूरभाष/मोबाईल नंबर ....
9. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत ....
10. जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र का जिला/क्रमांक/दिनांक ....
11. छ.ग. के निवासी का प्रमाण पत्र है/नही
12. जिला रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक ....
13. शैक्षणिक योग्यताः–

परीक्षा का नाम	विद्यालय/संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णाक	प्रतिशत

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण हैं किसी भी स्थिति में विवरण असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीद्वारी निरस्त हो जायेगी तथा मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेंगे।

हस्ताक्षरः–......................................

दिनांकः–.................. आवेदक का नाम..........................

स्थानः–....................